न्यायालय – श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प सागर (म.प्र.)

निग - 1735 - I-16

सत्यकुमार पिता प्रताप होलकर
निवासी – वार्ड क्र. 13, पंढलपुर, रहली, तहसील रहली, जिला सागर (म.प्र.)

.... **पुनरीक्षणकर्ता / प्रतिअपीलार्थी**

/ / विरूद्ध / /

वीरन सिंह बल्द पूरन लाल होलकर
निवासी – वार्ड क्र. 13, पंढलपुर, रहली, तहसील रहली, जिला सागर (म.प्र.)

.... **प्रतिपुनरीक्षकणकर्ता / अपीलार्थी**

प्रक.क्र.

तारीख ....

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करता है :–

अपर आयुक्त, सागर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 429 / अ–6–अ / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

संक्षिप्त तथ्य :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम सहजपुरीखुर्द स्थित भूमि खसरा नं. 487, रकवा 0.80 हैक्टे. का भूमि स्वामी प्रतिअपीलार्थी है और प्रतिअपीलार्थी के पक्ष में सहमति देते हुए तहसीलदार रहली के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही प्रस्तावित थी जिसमें बटवारे अनुसार प्रतिअपीलार्थी वीरन बल्द पूरन लाल होलकर निवासी वार्ड नं. 13, पंढलपुर रहली ने सहमति पत्र लिखते हुए न्यायालय श्रीमान् निम्न न्यायालय तहसीलदार रहली के समक्ष सहमति प्रस्तुत की और सहमति पत्र के आधार पर तहसीलदार रहली द्वारा नामांतरण किया गया और सहमति में लेख किया गया कि उक्त विवादित भूमि सत्य कुमार के पिता प्रताप होलकर ने वीरन के पक्ष में विक्रय की थी। तब से उक्त भूमि पर कब्जा एवं कास्तकारी का कार्य पुनरीक्षणकर्ता ही करता चला आ रहा है। निम्न न्यायालय तहसीलदार, रहली एवं न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, रहली द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किये जो विधि सम्मत हैं और दोनों आदेशों में कोई त्रुटि नहीं हुई है। लेकिन विद्वान निम्न न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया है।

1) यह कि, न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 429 / अ–6–अ / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 विधि अनुसार न होने से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1735/एक/2016 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.9.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 429/अ–6–अ/ 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम सहजपुरी खुर्द में भूमि स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 487 रकवा 0.80 हैक्टेयर का भूमिस्वामी अनावेदक है। यह भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 19.12.1981 द्वारा विक्रेता बलराम एवं हरीराम यादव से क्रय की थी। आवेदक द्वारा भूमि बंटवारा में प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए संशोधन पंजी वर्ष 2008–09 की प्रविष्टी क्र.03 पर तहसीलदार रहली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12. 2008 द्वारा अपने नाम करा ली गयी। तहसीलदार रहली के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रहली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 06.03.2014 से अवधि वाह्य मानकर	